

आ वचन 48 हुई (अब प्रजावली प्रमाण
दिया जा चुका है) अब बापटिल से 2000
रुपये एक क्वार्टर कोट दिया जाता
प्रजावली अधिपति को व साक्ष्य
वारे दिनांक 18/2/19 को प्रेषण

उपरखण्ड अधिकारी
करोली (राज०)

श्रीमान P. S. के अक्काथ वर होने कारण

कारण बाप दिनांक 18/2/19 को
विचाराधीन राजस्व मुकदमात की
सुनवाई दिनांक 12/4/19 को
की जायेगी।

श्रीमान P. S. के राज्य कार्य से वाहर होने के

कारण बाप दिनांक 12/4/19 को
विचाराधीन राजस्व मुकदमात की
सुनवाई दिनांक 18/6/19 को
की जायेगी।

12/4/19

18/6/19

पत्नी ल फटीके उपस्थित साक्ष्य वादी
आज भी पेश नहीं हुई। पूर्व के अन्तिम
मौका एवं कोर्ट पर भी मौका दिया जा
चुका है। अब बापटिल से अन्तिम मौका
कोर्ट दिया जाय है। प्रजावली वांछे साक्ष्य
वारे व आदगी दर्जा दिनांक 25-6-19
को प्रेषण है।

उपरखण्ड अधिकारी
करोली (राज०)

25-6-19

प्रजावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित
नहीं हुआ। ना ही वारी एवं उपस्थित
प्रजावली से कई बार आवाज लगावाई
गई। वार वार आवाज लगावाई गई। कोई
भी उपस्थित नहीं हुये। अतः प्रजावली
आदम हाजिरी एवं आदम फेरकी फेरकी
की जाती है। प्रजावली फंसल सुनार के
नकवर पर कम झकल वाड वकील वारिकल
संभार है।

उपरखण्ड अधिकारी

Handwritten signature and notes on the right margin.